बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/PMC/विविध/27/2017 –91 पटना, दिनांक 09/02/2017

कार्यालय आदेश

विभागीय पत्रांक– गंडक पुनर्स्थापन सेल–(5)–4/2006–31 दिनांक 13.02.2007 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश द्वारा बिहार राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्ताव उपस्थापन हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार की ओर से दर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने के उद्देश्य से गठित विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को जल संसाधन विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप अब निम्नांकित रूप में गठित किया जाता हैः–

(i)	अभियंता प्रमुख, मुख्यालय जल संसाधन विभाग, पटना	अध्यक्ष
(ii)	अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
(iii)	अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
(iv)	मुख्य अभियंता (यांत्रिक) जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य
(v)	निदेशक क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय जल संसाधन विभाग, पटना	सदस्य सचिव

2. उपर्युक्त समिति द्वारा दर निर्धारण संबंधी सभी कार्य किये जायेंगे। समिति को अधीक्षण अभियंता से गैर अनुसूचित मद के लिए प्राप्त अनुमोदित दर की तकनीकी जाँच कर इसे पुनरीक्षित करने का भी अधिकार होगा एवं तदनुसार समिति पुनरीक्षित दर की अनुशंसा एवं प्रस्ताव राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति को उपलब्ध करायेगी तथा इसे संबंधित अधीक्षण अभियंता को भी सूचित किया जायेगा एवं इसी दर के आधार पर कार्य का सम्पादन तबतक होता रहेगा, जबतक राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।

3. विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में नियमित रूप से आयोजित की जाएगी जिसमें उस पूरे माह के सभी प्रस्ताव समेकित रूप से रखे जायेंगे।

4. पूर्व की तरह निदेशक, क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना अपने सभी मानव संसाधनों का उपयोग करते हुए राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के स्वीकृतार्थ उपस्थापित किये जानेवाले सभी विभागीय प्रस्तावों को तैयार कर विभागीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ उपस्थापित करेंगे तथा निर्माण कार्यो के कार्यान्वियन में दर संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

5. राज्यस्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के समक्ष विभागीय प्रस्ताव अध्यक्ष के हस्ताक्षर से उपस्थापित किए जायेंगे।

6. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

Y. Singh
09.2.17

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना।

fazal/ draft 43

ज्ञापांक :– 91 /पटना, दिनांक 09/02/2017

प्रतिलिपि :– समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Y Singh 09.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक :– 91 /पटना, दिनांक 09/02/2017

प्रतिलिपि :– बिहार राज्य अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक–सह–अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Y Singh 09.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक :– 91 /पटना, दिनांक 09/02/2017

प्रतिलिपि :– सभी अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/सिंचाई मोनिटरिंग अंचल/बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल/काडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Y Singh 09.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक :– 91 /पटना, दिनांक 09/02/2017

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि वे इसकी प्रतिलिपि सभी अधीनस्थ अधीक्षण अभियंताओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Y Singh 09.02.17

(योगेश्वर धारी सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)